

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(4)एमई/ग्रुप-1/94

जयपुर, दिनांक : 19 FEB 2019

आदेश


डॉ. अटल बिहारी श्रीवास्तव, वरिष्ठ आचार्य, टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर जिनकी जन्म तिथि दिनांक 15.07.1959 है, को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत तथा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 9218/2018 डॉ. अटल बिहारी श्रीवास्तव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय 27.08.2018 "Petitioner has not only completed qualifying services for voluntay retirement and further no enquiry is pending against her under the CCA Rules. A similar controversy arose before this court in case of Smt. Annamma Mathew Vs. State & Ors, decided on 12.03.2018, and the court pleased to rely on its earlier decision in case of Dr. Kalpana Singh Vs. State of Rajasthan & Ors. (SBCW No. 4526/2014 decided on 16.12.2014). The court allowed the writ petition in following term:-

"In view of the above discussion, the writ petition filed by the petitioner is allowed in light or judgment in the case of Smt. Kamla and Dr. Kalpana Singh (Supra). The impugned order dated 12.12.2017 is quashed and set asise. Since on account of the refusal of the prayer for voluntary retirement, the petitioner is continuing in service, in the facts and circumstances of the case, it is directed that the petitioner shall be treated to be voluntary retired from service w.e.f. 30.04.2018. the respondents shall issued and appropriate order in this regard forthwith." Accordingly, the instant writ petition is also allowed. The impugned order 18.06.2018 is quashed and set aside and respondents are directed to treat petitioner voluntarily retired from services w.e.f. 30.09.2018. The respondents shall issue appropriate order in this regard forthwith." की पालना में दिनांक 30.09.2018 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से एतद्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

डॉ. अटल बिहारी श्रीवास्तव, वरिष्ठ आचार्य, टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियाँ विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

  
(गोपाल सिंह)  
शासन उप सचिव

क्रमश :- 2

शासन सहायक सचिव  
स्वास्थ्य (ए-ग्रुप) कक्षा काशी

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज0, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. डॉ. अटल बिहारी श्रीवास्तव, वरिष्ठ आचार्य, टी.बी. एण्ड चेस्ट विभाग, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
7. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



(जी.आर. रावल)

शासन सहायक सचिव